SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

मुरिया जनजाति में विवाह संस्कार का समाज शास्त्रीय विश्लेषण (बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा के विशेष संदर्भ में)

अंकिता अंधारे, सामाजशास्त्र अध्ययनशाला,
सुनील कुमार मेहता, मानवविज्ञान अध्ययनशाला,
राज कमल रॉय, क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors :
अंकिता अंधारे, सामाजशास्त्र अध्ययनशाला,
सुनील कुमार मेहता, मानवविज्ञान अध्ययनशाला,
राज कमल रॉय, क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/04/2020
Revised on : -----
Accepted on : 04/05/2020
Plagiarism : 03% on 27/04/2020

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 3%

Date: Monday, April 27, 2020
Statistics: 94 words Plagiarized / 3680 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

शोध सारांश :–

मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख जनजाति में से एक है जो बस्तर जिले में पायी जाती है, इनमें विशिष्ट प्रकार के विवाह संस्कार पायी जाती है जिसके कारण अन्य जनजातियों से इनका एक अलग ही स्थान है। प्रस्तुत शोधपत्र में मुरिया जनजाति के विवाह संस्कार का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है जो पूर्णतः अनुभवजन्य तथ्यों पर आधारित है अध्ययन का उद्देश्य मुरिया जनजाति में पाये जाने वाले विवाह संस्कार के स्वरूप को उजागर करना है, ताकि इन पर आधुनिकता व शहरी रहन–सहन का कितना व किस प्रकार प्रभाव पड़ा को ज्ञात किया जा सके जिससे इनकी मूल संस्कृति से इनका अलगाव कितना हो रहा है इसे ज्ञात किया जा सके। मुरिया समुदाय में संस्कार, समाज में सुख–शांति एवं परंपरागत रीतिरिवाज व नैतिक व्यवहार को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जनजाति में मुख्य रूप से जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मुत्यु संस्कार यह तीन संस्कार मनाये जाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा तहसील के मुरिया जनजाति में विवाह संस्कार का गुणात्मक अध्ययन किया गया है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए बस्तर जिले के लोहाण्डीगुड़ा तहसील का चयन उद्देश्य मूलक निर्दशन के द्वारा किया गया है जहां मुरिया जनजाति के परिवार की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। साक्षात्कार–अनुसूची, अवलोकन एवं केन्द्रिय समूह परिचर्चा के द्वारा प्राथमिक तथ्य संग्रहण किया गया है जिसमें पाया गया कि मुरिया जनजाति के विवाह संस्कार में शुभ महला,

विवाह महाला, सगा जानती एवं महुमुण्डा विवाह प्रमुख है जिसमें विभिन्न प्रकार के रस्मों–रिवाजों के द्वारा विवाह को सम्पन्न कराया जाता है। मुरिया जनजाति की संस्कृति संरक्षण के लिये यह अध्ययन अतिमहत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द :–

मुरिया जनजाति, विवाह संस्कार।

प्रस्तावना :–

जनजाति "Tribe" शब्द का हिन्दी अनुवाद है किसी भी सूचीबद्ध जनजाति को अनुसूचित जनजाति कहा जा सकता है किन्तु जब यह शब्द भारतीय जनजातियों के साथ प्रयुक्त होता है तो वह भारतीय जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है अतः जनजाति आदिवासियों के लिए प्रयोग होने वाला वैधानिक पद है।[1] मुरिया शब्द बस्तर क्षेत्रों में बहुत प्रचलित शब्द है जिसका अर्थ आदिवासी से लिया जाता है, बस्तर में पाये जाने वाले अधिकांश आदिवासी को इसी नाम से संबोधित किया जाता है मुरिया जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति मानी जाती है जो अपने घोटूल प्रथा (युवा गृह) के कारण प्रसिद्ध है जो वेरियर ऐल्विन की किताब "मुरिया एण्ड देयर घोटूल" के प्रकाशन के बाद अधिक चर्चा में आये।

मुरिया जनजाति को भिन्न–भिन्न क्षेत्र में भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है जैसे :–

1. राजामुरिया, यह राज परिवार से संबंधित होने के कारण जगदलपुर शहर व बस्तर जिले के आस–पास निवास करती है। राजामुरिया परिश्रमी व अपेक्षाकृत संपन्न होते हैं जिनकी मातृभाषा हल्बी होती है तथा इनमें घोटूल प्रथा बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है।
2. झोरिया मुरिया, यह अपने विशिष्ट वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं इनकी अधिकांश जनसंख्या नारायपुर, कोण्डागांव तथा छोटे डोंगर में निवास करती है।
3. घोटूल मुरिया, यह अपने घोटूल प्रथा के कारण जाने जाते हैं जो नृत्य, संगीत व मनोरंजन में अधिक रूचि रखते हैं जिनका फैलाव कोण्डागांव व अंतागढ़ के आस–पास के क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है।

मुरिया समुदाय के लोग नदीं के किनारे, जंगल में व पहाड़ों पर निवास करते हैं तथा इनका आवास मिट्टी, लकड़ी व पत्थर का बना होता है मुरिया समुदाय के लोग ज्यादा वस्त्र का उपयोग बहुत ही कम करते हैं, मुरिया पुरूष लुंगी व धोती पहनतें हैं तथा स्त्री घुटने तक साड़ी पहनते हैं। उनका विशेष भोजन माड़िया पेज, चावल, सल्फी, महूंआ शराब होता है तथा मुर्गा–मछली व सुखी मछली इनका प्रमुख भोजन के अंतर्गत आता है। प्रशासनिक व्यवस्था मांझी और पटेल के द्वारा संचालित होती है मांझी परगना का प्रमुख होता है (एक परगना में लगभग 40 ग्राम होते हैं) पटेल ग्राम का प्रमुख होता है इसके अलावा गायता, गुनिया, सिरहा, माटी गायता ग्राम के प्रमुख होते हैं। मुरिया जनजाति में विवाह के लिए समगोत्रता को मान्यता नहीं दी जाती है इनमें ममेरे–फुफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसे विवाह संबंध को गुड़मोल या दुध लौटाना विवाह कहा जाता है इस विवाह का उद्देश्य एक कुटुम्ब में जिसने लड़की दी है वह इस विवाह से पुनः कुटूंब से लड़की प्राप्त कर सकता है जिससे दोनों कुटूंब के रिश्ते मजबुत होते है इस जनजाति समाज में पति की मृत्यु के पश्चात् देवर से विवाह हेतु स्वीकृति दी जाती है।[2]

विवाह एक धार्मिक संस्था है तो किसी समाजों में यह सामाजिक व कानूनी समझौता है विवाह दो विपरीत लिंगों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक कानूनी स्वीकृति है। विवाह का भिन्न–भिन्न धर्मों में भिन्न–भिन्न मान्यता है हिन्दु धर्म के अनुसार यह धार्मिक संस्कार है, ईसाई धर्म के अनुसार यौन संतुष्टी, मुस्लिम धर्म के अनुसार संतानोतपती, वहीं जनजातीय धर्म के अनुसार विवाह

साथ–साथ रहने का सामाजिक समझौता है, परन्तु समाजशास्त्रीय के अनुसार स्त्री व पुरूष को एक प्रस्थित देकर उसके भूमिका का निर्वाहन करना माना गया है। मरडॉक के अनुसार, "साथ रहते हुये नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखना विवाह है" मरडॉक ने 250 समाजों का तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि विवाह यौन–संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन–पोषण करने के साथ–साथ उनका समाजीकरण करना है।[3] मजुमदार एवं मदान ने विवाह को परिभाषित करते हुये लिखा है कि विवाह कानून व धार्मिक रूप से समाजिक स्वीकृति है जो दो भिन्न लिंग के व्यक्ति को यौन स्थापित करने की मान्यता प्रदान करती है विवाह के उद्देश्य में घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों में प्रवेश, प्रजनन, बच्चों का पालन–पोषण, शारीरीक स्तर पर यौन संतुष्टि और मनोवैज्ञानिक स्तर पर समाजिक पद की प्राप्ति व संतान प्राप्त करना है।[4]

हसनैन नदीम (1997) ने विवाह के स्वरूप का उल्लेख किया है कि एक विवाह के स्वरूप में एक पुरूष एक ही स्त्री से विवाह करता है भारतीय जनजातीयों में अधिकांश विवाह एक विवाह को पालन करता है। बहुविवाह में एक स्त्री–पुरूष एक से अधिक स्त्री–परूषों के साथ वैवाहिक संबंध रखता है बहुविवाह के दो पक्ष होते हैं –

(अ) बहुपत्नि विवाह (ब) बहुपति विवाह

बहुपत्नि विवाह में एक पुरूष एक से अधिक स्त्री के साथ में वैवाहिक संबंध रखता है, जबकि बहुपति विवाह में एक स्त्री एक से अधिक पुरूषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करती है।[5]

अध्ययन का उद्देश्य :–

प्रस्तुत अध्ययन का निम्नलिखित उद्देश्य है :–

1. मुरिया जनजाति में प्रचलित विवाह संस्कार एवं विवाह के प्रकार को ज्ञात करना।
2. मुरिया जनजाति में विवाह के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना।

अध्ययन का समाजशास्त्रीय महत्व :–

भारतीय जनजाति के सामाजिक संरचना में विवाह का अत्यधिक महत्व है, सभी समाजों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में माना जाता है परन्तु वर्तमान समय में पारंपरिक विवाह के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहे हैं। विवाह अधिकाधिक मात्रा में परम्परागत रिवाजों से न होकर आधुनिक रिवाजों से हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में मुरिया जनजाति में विवाह के प्रकार्यों में क्रमिक परिवर्तन के परम्परागत मूल्यों तथा सामाजिक नियंत्रण से संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ती है जो सामाजिक क्षेत्र व जनजाति के संस्कृति संरक्षण के लिये यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

उत्तरदाताओं का चयन :–

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं के चयन हेतु लोहाण्डीगुड़ा तहसील के 86 मुरिया ग्रामों में से 6 गाँव का चयन दैवनिदर्शन की लॉटरी प्रणाली का प्रयोग करके किया गया है तथा इस प्रणाली के द्वारा शोध क्षेत्र के कुल 670 मुरिया परिवार के 30 प्रतिशत 201 परिवार को उत्तरदाता के रूप में चयन किया गया है।

तालिका क्रमांक–1

क्रमांक	ग्राम	जनसंख्या	मुरिया परिवार की संख्या	चयनित मुरियाकी संख्या
1.	छिंदगांव	1034	50	15
2.	गढ़िया	3686	168	50

3.	तरागांव	2254	110	33
4.	टाकरगुड़ा	1835	76	23
5.	चित्रकोट	2688	160	48
6.	अलनार–साड्रा	1043	106	32
	योग	**12540**	**670**	**201**

मुरिया जनजाति में प्रचलित विवाह :–

(क) उढ़रिया विवाह :–

यह जनजाति में प्रचलित प्रेम विवाह है। इस विवाह में लड़का–लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपने माता–पिता के आज्ञा नहीं मिलने के कारण वे घर से भाग जाते हैं माता–पिता के खोज–खबर लेने के बाद पूछताछ की जाती है, लड़का–लड़की को स्वीकार करने के पश्चात् विवाह करने के लिये उन्हें सामुदायिक पंचायत के सामने सुनवाई की जाती है जिसमें स्वीकार किया जाता है और पंचायत के निर्णय के पश्चात् विवाह की तैयारी की जाती है यह विवाह एक दिन में संपन्न हो जाती है जिसे उढ़रिया या भगेली विवाह कहा जाता है। यह विवाह मुरिया जनजाति के द्वारा सर्वमान्य नहीं माना जाता है इसके लिये विवाह के कुछ निश्चित नियम व शर्तें हैं।

(ख) पैठू विवाह :–

लड़के व लड़की के गुप्त समझौते से लड़के के सलाह से लड़की लड़के के घर आकर रहने लग जाती है ऐसी स्थिति को पैठू जाना जाता है पैठू आने की दो स्थिति होती है पहली लड़का–लड़की को पसंद करके घर पर रखने को राजी होता है तथा दूसरी स्थिति में लड़के के माता–पिता लड़की को पसंद करके लड़की को घर में रहने की अनुमति देते है इन दोनों स्थिति को पैठू विवाह कहा जाता है पैठू जाने पर जातीय पंचायत की बैठक पर पूछताछ होने से कि लड़की के द्वारा स्वीकार करने पर वह बहू बनने आयी है, लड़के के साथ रहना चाहती है जिससे जातीय पंचायत विवाह की अनुमति देता है और माता–पिता (दोनों के) निर्णय से विवाह किया जाता है यह पैठू विवाह होता है। यह विवाह भी जनजाति पंचायत के नियम व शर्तों के अधीन ही स्वीकृति प्राप्त होती है।

(ग) लमसेना विवाह :–

इस विवाह में वर को वधू के माता–पिता के घर एक निर्धारित समय तक रहना पड़ता है तथा अपनी सेवा देने के पश्चात् विवाह होता है जिसे लमसेना विवाह कहा जाता है यह विवाह वधु – मूल्य नहीं दे पाने की स्थिति में होता है वर अपनी निर्धारित समय तक ससुराल में अपनी सेवा देने के पश्चात् वह वधु को अपने घर ले जाता है या कभी–कभी स्थायी रूप से वर अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहने लगता है इस प्रकार के विवाह को लमसेना विवाह कहा जाता है।

(घ) गुड़मोल विवाह :–

मुरिया जनजाति में मामा व बुआ के लड़के–लड़की को विवाह की प्रथमिकता दी जाती है विवाह हेतु प्रथम अधिकार होता है इस विवाह का उद्देश्य जिस परिवार में लड़की दी है वह इस विवाह से पुनः परिवारों के रिश्ते मजबूत होते हैं जिसे गुड़मोल व दूध लौटना विवाह कहा जाता है।

(ड.) पारंपरिक विवाह :–

मुरिया जनजाति में पारंपरिक विवाह कई पिढ़ियों से चली आ रही है यह विवाह वर एवं वधु

दोनों पक्षों के पूर्ण सहमति से होता है जिसमें विवाह संस्कार की सभी विधियों को क्रमानुसार किया जाता है, इस विवाह को समाज द्वारा बनाया गया है एवं पारंपरिक विवाह को समाज के सभी सदस्यों के द्वारा पूर्ण सहमति दिया जाता है तथा मुरिया जनजाति के अधिकतम परिवारों में पारंपरिक विवाह ही पाया जाता है। पारंपरिक विवाह में पायी जाने वाली सभी विधियों को निम्नलिखित विवाह संस्कार में बताया गया है।

उत्तरदाताओं के परिवार में विवाह का प्रकार :–

उत्तरदाता के परिवार में निम्नलिखित प्रकार का विवाह पाया गया जिसका विस्तृत विवरण चित्र क्रमांक–1 में दर्शाया गया है।

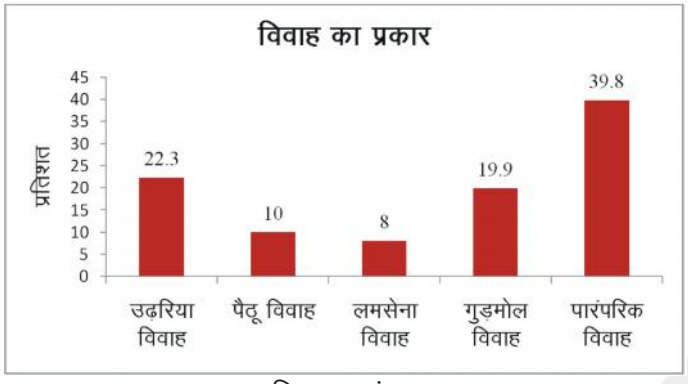

चित्र क्रमांक–1

उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि चयनित अधिकतम 39.8 प्रतिशत परिवार में पारंपरिक विवाह पाया गया जबकि सबसे कम 8 प्रतिशत परिवार में लमसेना विवाह पाया गया वहीं 22.3 प्रतिशत परिवार में उढ़रिया विवाह, 19.9 प्रतिशत परिवार में गुड़मोल विवाह, तथा 10 प्रतिशत परिवार में पैठू विवाह पाया गया।

विवाह के तरीके में परिवर्तन :–

अध्ययन क्षेत्र के मुरिया जनजाति में विवाह के स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन पाया गया जिसका विवरण तालिका क्रमांक–2 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक –2

क्रमांक	विवाह के तरीके में परिवर्तन (n=201)	हां		नहीं	
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बारात ले जाने में	40	19.9	161	80.1
2.	वर मुल्य में	28	13.9	173	86.1
3.	विवाह संबंधी खान–पान में	31	15.4	170	84.6
4.	विवाह में उपयोग की जाने वाली वाद्ययंत्रों में	47	23.4	154	76.6

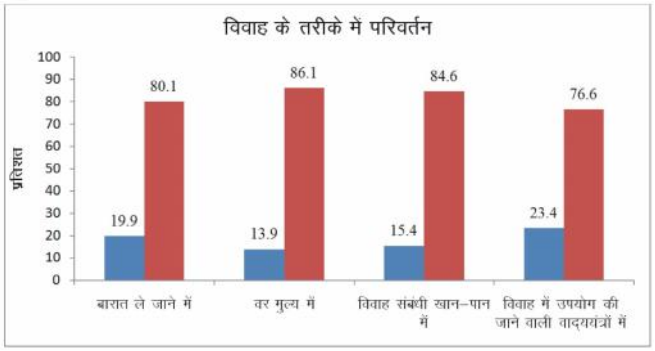

चित्र क्रमांक– 2

विवाह के तरीके में परिवर्तन संबंधी उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मुरिया जनजाति में विवाह के पारंपरिक तरीकों में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है किन्तु वर्तमान में मुरिया जनजाति समुदाय में विवाह संस्कार में भी आधुनिकीकरण का झलक दिखाई दे रहा है इनके विवाह के तरीके पारंपरिक ही हैं किन्तु शहर के नजदीक में निवास करने वाले मुरिया जनजाति में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है जैसे– बारात ले जाने के लिये पहले बैलगाड़ी व पैदल जाया करते थे, किन्तु वर्तमान में चारचक्का गाड़ी का उपयोग किया जाता है, पहले विवाह में वर मुल्य के रूप में पारंपरिक वस्तुऐं जैसे – अनाज व मंद दिया जाता था किन्तु अब कुछ परिवारों में अब यह दहेज का रूप ले लिया है, इसी प्रकार विवाह संबंधी खान–पान व विवाह में की जाने वाली वाद्ययंत्रों में भी कुछ परिवर्तन आया है। पहले जमीन में बैठाकर खाना खिलाया जाता था किन्तु वर्तमान में कुर्सी–टेबल पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है व वर्तमान में खाना का स्तर भी पहले की तुलना में कुछ बेहतर होता है वहीं वर्तमान में विवाह में विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है।

विवाह संस्कार :–

आदिवासी में बहन समधान होता है, बहन के बेटी लाने के लिये पहला हक भाई के बेटे को होता है।

सगाई नेग –

रिश्ता लेकर लड़के पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष में जाया जाता है। दो पक्ष के राजी हो जाने पर इस प्रक्रिया को सगाई नेग कहा जाता है इसे जानती नेग भी कहा जाता है।

शुभ माहला –

इस माहला में सभी गांव के सगे – संबधियों को बुलाया जाता है, शादी के रिश्ते के बात सभी सगा–समधी के बीच की जाती है और लड़के पक्ष से लाई, चिवड़ा, गुड़, मंद को लड़की पक्ष के मुखिया को दिया जाता है। मुखिया के द्वारा पितृ, तर्पण व कुल देवी को तर्पण करके, सभी सगा–समधी मिलकर खाते हैं। इस नेग में पहले 12 महला तक जाया करते थे किन्तु वर्तमान में समय व पैसे की बचत के लिये 3 माहला में ही महला नियम को समाप्त कर दिया जाता है।

विवाह माहला –

में बाकी सभी 3 माहला जोड़ी महला, सगा जनती कोड़ी जोड़े के समान देकर माहला जाने को समाप्त कर दिया है। विवाह माहला में सगा को दाल–चावल खिलाने के लिये गुड़ ले जाया जाता है। जोड़ी माहला जिसे जोड़ा नपनी भी कहा जाता है मंद (शराब), दाल चावल 9 खण्डी धान तथा सुअर ले जाया जाता है। सगा जानती– मंद, लाई, चावल। कोड़ी जोड़ा– सभी सगा समधी द्वारा खाना खाया जाता है उसके बाद महला क्रिया समाप्त हो जाती है और विवाह का दिन निश्चित किया जाता है। विवाह जिस दिन निश्चित किया जाता है उस दिन लड़की के घर न्यौता स्वरूप 5 पैली चावल, नमक, दाल, तीन बोतल मंद दिया जाता है।

माण्डो दिन (महुमुण्डा नेग) –

लड़के पक्ष से दो लोग आते हैं जिसे महालाकरी कहते हैं जो शादी का समान (परला, बिछना, मौर, हल्दी, मंद) लाते है तथा लड़के पक्ष के पुजारी के द्वारा व लड़की पक्ष के पुजारी के द्वारा मण्डो गाड़ा जाता है जिसमें महुआ व सरगी (साल) वृक्ष के डाल जिसे कुमारी लकड़ी कहा जाता है को काटते समय दाल, चावल व धागा एवं पेड़ में पानी डालकर इसे शुद्ध किया जाता है धागा को सात बार लपेट दिया जाता है एवं मंद कातार्पण किया जाता है पुजारी के मण्डप के लकड़ी लाने वाले के साथ पैर धुलाया जाता है हल्दी टिका करके पूजा करते हैं माण्डों के लिए जगह निश्चित करके पुजारी गड़ढ़ा करता है जिसमें हल्दी का गांठ, दाल, चावल व मंद

डाला जाता है दोनों वृक्ष के डाल को गड्ढ़े में डाला जाता है यह प्रक्रिया लड़के पक्ष वाले भी करते हैं लिसे महुमूण्डा नेग कहा जाता है।

हल्दी ठेचना –

पुजारी के द्वारा किया जाता है जिसमें सील–लोढ़ा से हल्दी ठेचने (पिसने) के बाद मंद तर्पण किया जाता है फिर हल्दी पिसने के पश्चात् नये हाण्डी (मटका) में हल्दी एकत्र करके हल्दी को अच्छे से घोला जाता है तथा पुजारी के द्वारा हल्दी के पांच हिस्से किये जाते हैं–(i) माटी देव के लिए (ii) ग्रामदेवी के लिए (iii) घर की कुलदेवी के लिए (iv) बाहर से आने वाले सगा संबंधी के लिए(v) दुल्हा व दुल्हन के लिए

माण्डो भात –

मण्डो गडाने के बाद गांव के सभी लोगों को मंद, लाई, गुड़ दिया जाता है जिसे माण्डो भात भी कहा जाता है।

देव तेल –

देव तेल लेने के लिए लड़के व लड़की की माँ, पुजारी व गाँव वाले बाजा मोहंरी के साथ पर्रा में दिया, चावल, हल्दी सिर पर रखकर देवगुड़ी (देव स्थान) जाती है जिसे पुजारी के द्वारा उतारा जाता है। देवगुड़ी पर कसापानी छिड़ककर हल्दी को ग्रामदेव में चढ़ाया जाता है फिर मंद को देवी को तर्पण किया जाता है उसके बाद पुजारी के द्वारा देव तेल व अन्य 5 सगा के घर (रिश्तेदार) से तेल मांगा जाता है व माण्डो घर (विवाह घर) में तेल व हल्दी लेकर वापस आकर देवतेल चढ़ाने की तैयारी की जाती है जिसमें लड़की को तैयार करके माण्डो के सामने बैठाकर सबसे पहले पुजारी के द्वारा तेल चढ़ाया जाता है फिर तेल–हल्दी का कार्यक्रम सुबह तक चलता है फिर परिवार के सदस्य खाना खाकर तैयार होकर लड़की को लड़के के घर लेकर जाते है इसे लड़की पहुंचानी रस्म भी कहते हैं।

समधी भेंट –

लड़का पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष वाले का स्वागत किया जाता है जिसमें लड़के व लड़की के सगे समधी आपस में मिलते हैं जिसे समधी भेंट कहा जाता है फिर सगा वाले लड़के को परघा (स्वागत) कर घर ले जाते हैं।

लग्न नेग –

घर पहुंचकर दोनों को मौर बांधा जाता है लड़के–लड़की के बीच में पर्दा रखकर अन्य सदस्यों के द्वारा परला (पर्रा) बोहके (सिर पर उठाकर) माण्डो की परिक्रमा की जाती है यह परिक्रमा 7 बार की जाती है। फिर लड़के को पूर्व दिशा की ओर तथा लड़की को पश्चिम दिशा की ओर खड़ा किया जाता है तथा लड़के (वर) के मुट्ठी में चावल दिया जाता है फिर चावल लड़की की ओर फेंकर दोनों का गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लिये हल्दी, दाल, चावल व सुपारी मिला के किया जाता है और लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है और पैर खूंदता है फिर दूल्हन की छोटी उंगली को पकड़कर परिक्रमा किया जाता है उसके बाद दोनों को माण्डों (मण्डप) में बैठाया जाता है।

जोड़ी तेल –

इस नेग में दुल्हा के गोद में अन्य लड़के को तथा दुल्हन के गोद में अन्य लड़की को बैठाया जाता है फिर पुजारी के द्वारा तेल चढ़ाया जाता है जिसे जोड़ी तेल कहा जाता है। दुल्हा–दुल्हन को घर लेजार धान रखने (धान फुटकी) को छुआया जाता है फिर लड़की के माता–पिता को लड़के वाले के तरफ से 40 किलो चावल (दो गपली लगभग 10 पैली), 10

किलो दाल, लाई व मंद दिया जाता है इसके साथ–साथ लड़की के मां को एवं लड़की के बहन को साड़ी दिया जाता है जिसे माय साड़ी व सास पाटा कहा जाता है इसके अलावा दुल्हा व दुल्हन के द्वारा लड़की के माता–पिता को एक बोतल मंद दिया जाता है।

मायपानी –

लड़की के मां के द्वारा मटका बोहकर (सर पर उठाकर) नदी या तालाब से पानी लेकर आती है जिसे मण्डप में टॉग दिया जाता है।

चाऊर मरनी –

लड़के व लड़की को परिवार के सदस्य के द्वारा गोद में उठाया जाता है दूल्हे को दुल्हन के मां के द्वारा तथा दुल्हन को दुल्हे के मां के द्वारा चांवल दिया जाता है फिर दुल्हा–दुल्हन एक–दूसरे की ओर चांवल मारते है जिसे चाऊर मारनी नेग कहा जाता है।

चाऊर टिपसी नेग –

चटाई पर दुल्हा व दुल्हन के बीच छोटे मटका (कोण्डी) में चावल भरकर रखा जाता है लिसे दुल्हा दाहिने पैर के अंगूठे से मारता है और दूल्हन उसे पकड़ती है और इसके बाद हार–जीत का फैसला होता है। फैसला होने के बाद पुजारी के द्वारा दुल्हा के गोद में दुल्हन को बैठाकर उसका मौर खोलता है उसके दुल्हन के गोद में दुल्हा को बैठाकर दुल्हा का मौर खोलता है इस प्रक्रिया को चाऊर टिपसी नेग कहा जाता है।

तेल उतरानी –

इसमें पुजारी के द्वारा दुल्हा व दुल्हन का तेल उतारा जाता है जिसमें पुजारी आम पत्ता के द्वारा 7 बार सिर से पैर की ओर करते हुये तेल उतारता है।

डिड़ापानी –

लाये गये पानी को लड़की के बड़े भाई के द्वारा छोटे मटके से दुल्हे को सात बार गिराया जाता है दुल्हे के द्वारा लड़की के बड़े भाई (अपने डेढ़ साला) को अंगुठी दिया जाता है और डेढ़ साले के द्वारा दुल्हे को अंगुठी दिया जाता है जिसे डिड़ापानी नेग कहा जाता है।

टिकान/टिका रस्म –

डिड़ापानी रस्म के बाद दुल्हा–दुल्हन को टिका रस्म के लिये बैठाया जाता है जिसमें केवल लड़की पक्ष के द्वारा उपहार व पैसे चावल का टिका लगाकर दिया जाता है और फिर लड़की पक्ष के साथ आये सगा समधी को विवाह भोज कराकर विदा कर दिया जाता है विवाह भोज में बकरा, सुअर, मुर्गा, दाल, चावल सब्जी एवं अन्य शाकाहारी खाना व मंद दिया जाता है।

चिखल माटी नेग –

टिका रस्म के दूसरे दिन पुजारी मण्डप में आता है देवी देवता का पूजा–पाठ करता है फिर माण्डो को उखाड़ा जाता है और माण्डो के ऊपर छाये गये बांस के ऊपर डाल देता है फिर, दुल्हे के घर वाले मिट्टी का चिखल (किचड़) लेने तालाब या नदी जाते है चिखल लेकर पुजारी दुल्हा–दुल्हन को टिका करते हैं फिर पुरे परिवार व गाँव के द्वारा चिखल खेला जाता है। उसके बाद दुल्हन के द्वारा पहने हल्दी कपड़े को मटके में गर्म पानी डूबो दिया जाता है माण्डो की लकड़ी और हल्दी–तेल सभी को नदी पर ले जाकर ठंडा किया जाता है।

टिकान/दूसरा –

शाम को लड़के पक्ष के द्वारा टिकान दिया जाता है जिसमें सभी को गाँव वाले दुल्हा–दुल्हन को आर्शीवाद व उपहार भेंट करते हैं फिर विवाह भोज कार्यक्रम होता है।

पाहना नेग –

शादी होने के 10 दिन के अंतराल में लड़की के घर दुल्हा–दुल्हन को ले जाया जाता है साथ में 5 पैली चावल, दाल, मुर्गा (मुर्गा होना अनिवार्य है) 5 बोतल मंद (शराब) लेकर जाते हैं लड़की के घर एक सप्ताह तक रूका जाता है फिर दुल्हा–दुल्हन को लड़की के माता–पिता उसके घर छोड़ने जाते हैं जिसमें लड़की पक्ष से 5 पैली चावल, मंद (महुआ शराब) तथा अनिवार्य रूप से मुर्गी ले जाया जाता है इस प्रकार से विवाह संस्कार संपन्न होता है।

निष्कर्ष :–

अध्ययन में पाया गया कि नगर के समीप के गांवों में मुरिया जनजाति की कुछ विवाह जैसे– लमसेना व पैठूल विवाह की विलुप्तता पायी गयी। प्राचीन समय में विवाह में वधुमुल्य के रूप में धान, पशु, चावल–दाल एवं मंद इत्यादि देने का प्रचलन था परन्तु वर्तमान समय में वधु मुल्य देने के साथ–साथ आर्थिक रूप से सक्षम होने पर वधु पक्ष द्वारा वर मुल्य भी दिया जाता है अर्थात् दहेज प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है जोकि वर्तमान में जनजाति समाज के विवाह के स्वरूप में परिवर्तन कहा जा सकता है। श्रीनिवास के संस्कृतिकरण के सिद्धान्त के अनुसार, निम्न जातियां उच्च जातियों के संस्कृति को अपना रही है उसी प्रकार हमारे अध्ययन में भी पाया गया कि मुरिया जनजाति में भी संस्कृतिकरण दिखाई दे रही है।

पैठूल विवाह में लड़का–लड़की आपसी समझौते से एक साथ एक स्थान पर निवास कर जीवन यापन करते हैं वर्तमान समय में इस विवाह का नवीनतम स्वरूप शहरी व महानगरी वातावरण में "लीव इन रिलेशन" में रहने वाले स्त्री–पुरूषों में देखने को मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान समय में आधुनिकीकरण व पाश्चात्य संस्कृति में भी हमें जनजातीय संस्कृति की झलक कहीं न कहीं अवश्य दिखाई देती है।

संदर्भ सूची :–

1. *शर्मा श्रीनाथ (2006) जनजातीय समाजशास्त्र : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ. क्र.–14*
2. *प्रसाद राजीव रंजन (2015) बस्तरनामा : शरा पब्लिकेशन पृ. क्र. 177–179*
3. *Murdock, G. P. (1948) our primitive comtemporaries. Macmillon newyork.*
4. *Majumdar D.N. and Madan T.N. (1967) An Introduction to social anthropology: Bombay, Asia publishing house.*
5. *हसनैन नदीम (1997) जनजातीय भारत : जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्टीब्यूटर्स, पेज 33–34.*

****